राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर 302017

क्रमांक:-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-।। 15747 दिनांक 25-12-2021

परिपत्र

ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विभिन्न राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के प्रशिक्षुओं हेतु निम्नानुसार मापदण्ड तय किए जाते हैं:-

1. आधारभूत प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए समय सीमा, प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 07 दिवस तक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इसके बाद आने वाले प्रशिक्षणार्थी कार्मिक विभाग या सम्बन्धित नियोक्ता प्राधिकारी के यहाँ अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण काल में राजस्थान सेवा नियमों के तहत अपरिहार्य दशा में ही निर्धारित आकस्मिक अवकाश ही देय होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
3. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण काल में विशेष परिस्थितियों (जैसे यूपीएससी व आरपीएससी या अन्य की परीक्षा दिवस के दिन) में ही नियमानुसार देय अवकाश स्वीकृत किये जा सकेंगे।
4. यदि आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु द्वारा 15 दिवस से अधिक अवकाश (सभी तरह के अवकाश को सम्मिलित करते हुए जिसमें प्रशिक्षण में विलम्ब से ज्वाइन करने की दशा में भी विलम्ब दिवसों की अवधि भी सम्मिलित हैं) पर रहने की दशा में प्रशिक्षु को प्रशिक्षण से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा तथा प्रशिक्षु को भविष्य में होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण को पुन: करना होगा।
5. किसी भी तरह का अवकाश प्रशिक्षु का अधिकार नही होगा, बल्कि गुणावगुण आधार पर अवकाश स्वीकृत/रद्द किया जा सकेगा।
6. यदि प्रशिक्षु अनधिकृत तौर पर एक दिन भी अनुपस्थित रहता है, तो उसे प्रशिक्षण से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और प्रशिक्षु को भविष्य में होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण में नियोक्ता प्राधिकारी विभाग की ओर से प्रार्थना पर सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. यदि कोई प्रशिक्षु अधिकारी आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान टर्म पेपर, बुक रिव्यू, सिंडीकेट ग्रुप वर्क, विलेज स्टडी ट्यूर एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने में

असफल रहता है, ऐसी स्थिति में संबंधित प्रशिक्षु अधिकारी को मूल्यांकन के दौरान शून्य अंक मिलने से वह आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में असफल घोषित किया जा सकता है।

8. यदि किसी प्रशिक्षु को राजकीय निर्देशों के तहत उल्लिखित अवधि से अधिक किसी कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है तो ऐसे प्रशिक्षुओं को अवकाश समाप्ति के उपरान्त प्रशिक्षु को भविष्य में होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण को पुनः करना होगा, अर्थात् उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं होगा।

उपर्युक्त व्यवस्थाएं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, समस्त प्रशिक्षुओं हेतु तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

24/12/2021

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)
एवं महानिदेशक

क्रमांकः-एफ18(1)एफसी/एसएस/रीपा/2021/पार्ट-।। 15748-67 दिनांक 25-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी (टी.एण्डपी.), ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण एवं संकाय सदस्य, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा।
7. ए.सी.पी. (कम्प्यूटर), ह.च.मा. रीपा को भेजकर लेख है कि वे उक्त परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवायें।
8. निजी सहायक, महानिदेशक महोदय/अति. महानिदेशक/अति. निदेशक (प्रशासन/लेखा)/उप निदेशक (प्रशासन), ह.च.मा. रीपा जयपुर।
9. संस्थापन शाखा/ लेखा शाखा/एफ.सी. सेल, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड नेहरू भवन/पटेल भवन/विश्रान्ति, ह.च.मा. रीपा जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

25/12/21

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)